पशुपालन एवं डेयरी विभाग,

मध्यप्रदेश प्रदेश शासन,

मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल-26004

क्रमांक F.ANH/5/0024/2025-Sec-1-35(ANH) भोपाल दिनांक25-04-2025

प्रति,

उपसंचालक,
पशुपालन एवं डेयरी
जिला (समस्त),
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय : मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत घटक "डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ : पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्र- ANH0024/05/-2025//0024/05/sec-1-35{ANH}, दिनांक 11 अप्रैल 2025।

--00--

देश मे निरंतर दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये एवं उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना संचालित की जा रही है। संदर्भित आदेश से इस योजना में नवीन घटक के रूप में "**डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना**" को शामिल किया गया है। नवीन घटक के स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:-

1. दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयों की स्थापना की इस योजना में हितग्राहियों को बैंक ऋण की सुविधा के साथ शासकीय अनुदान का प्रावधान है। योजना समस्त जिलो में प्रारंभ की जा रही है। जिले में योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिले के उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी द्वारा किया जाएगा।

2. **आवेदक की पात्रता -**

2.1 योजना हितग्राही मूलक है।

2.2 हितग्राही मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।

2.3 यह योजना राज्य के सभी जिलों के लिए है।

2.4 योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है।

2.5 हितग्राहियों को आनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

2.6 एक हितग्राही को एक आवेदन पर एक या एक से अधिक इकाई (अधिकतम 08 इकाईयॉं, 200 दुधारू पशु) लेने की पात्रता होगी।

2.7 हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड कृषि भूमि होना आवश्यक है।

2.8 इकाईयों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने पर अनुपातिक रूप से न्यूनतम कृषि भूमि की अर्हता में भी अनुपातिक वृद्धि आवश्यक होगी।

2.9 भूमि हेतु परिवार के सामूहिक भूमि खातें भी सम्मिलित है किन्तु इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी।

2.10 भूमि यदि छोटे छोटे भागो में है तो संपूर्ण भूमि एक ही तहसील में होना चाहिए। यदि परियोजना क्षेत्र तहसील बार्डर पर है तो कम से कम आधा एकड भूमि एक ही स्थान पर होना चाहिए।

2.11 वर्तमान में दुग्ध संघों के अंतर्गत पूर्व से दूध प्रदाय कर रहे पशुपालको को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध संघ/प्रोडयूसर कंपनी के प्रचलित **Milk Route** पर आने वाले हितग्राहियो को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.0 **योजना का स्वरूप –**

3.1 लाभार्थियों का चयन ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार पर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

3.2 कार्यक्रम अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जाएगी। एक इकाई में समस्त गौवंश या समस्त भैंसवंश ही होगें। एक हितग्राही अधिकतम 8 इकाईयों का लाभ ले सकेगा।

3.3 एक इकाई की समस्त गाय/भैंस एक ही प्रजाति (breed) की होंगी।

3.4 योजना में भारतीय मूल की देशी नस्लों में साहिवाल,गिर,थारपारकर,रेड सिंधी, संकर नस्लों में एच एफ,जर्सी, भैसों में मुर्रा ,भदावरी, सूरती, मेहसाना शामिल की जा सकेंगी।

3.5 एक से अधिक इकाईयाँ लेने की स्थिति में उन्नत गाय/संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी इच्छानुसार चयन कर सकेगा। उदहारणर्थात यदि हितग्राही 03 इकाईयाँ लेता है तो वह अपनी इच्छा के अनुरूप एक भैंस की इकाई, एक संकर गाय की इकाई तथा एक उन्नत देशी गौवंश की ईकाई ले सकेगा।

3.6 हितग्राही द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर समस्त ऋण चुका दिया जाता है अथवा इकाई का संचालन सफलतापूर्वक एवं बैंक लोन के किस्त का भुगतान संतोषप्रद होने पर वह अगली बार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। यह सुविधा अधिकतम 08 ईकाईयो तक दी जा सकेगी।

3.7 एक ऋण व दूसरे ऋण के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर अनिवार्य होगा।

3.8 दूसरा ऋण केवल पिछले ऋण चक्र के संतोषजनक पुर्नभुगतान पर ही दिया जाएगा।

4.0 योजना की अनिवार्यता –

4.1 आवेदक किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

4.2 प्रत्येक इकाई के लिए 3.5 एकड भूमि अनिवार्य है। इकाईयों की संख्या में वृद्धि पर उसी अनुपात (3.5 एकड भूमि/ईकाई) में भूमि आवश्यक होगी।

4.3 लाभार्थी को किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय/शासन द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

4.4 आवेदक को योजना की स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.5 पशुचिकित्सा एवं पशुपालन के स्नातक आवेदको को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

5.0 योजना की लागत व राशि वितरण के चरण:

(राशि लाख रूपये में)

भुगतान के चरण	समय सीमा	घटक विवरण	देशी गाय की नस्ल	संकर गाय/भैंस
प्रथम किस्त	प्रथम माह	शेड निर्माण हेतु	11.00	11.40
द्वितीय किस्त	अधिकतम चतुर्थ माह	09 (पशु क्रय+ बीमा+ परिवहन)	9.00	11.00
तृतीय किस्त	आठवें माह	08 (पशु क्रय+ बीमा+ परिवहन)	8.00	9.80
चतुर्थ किस्त	बारहवें माह	08 (पशु क्रय+ बीमा+ परिवहन)	8.00	9.00
		योग	**36.00**	**42.00**

6.0 बैंक ऋण व अनुदान की प्रक्रिया,शर्तें व अहर्ताएं

6.1 अनुदान राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हितग्राहियों के लिए निर्धारित परियोजना लागत का 33% तथा अन्य श्रेणी के हितग्राहियों के लिए निर्धारित परियोजना लागत का 25% होगी।

6.2 यह अनुदान ऋण वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अंतर्गत होगा। इस पर हितग्राही को कोई ब्याज नही देना होगा तथा हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित ऋण अवधि से पूर्व कभी भी कर सकता है।

6.3 हितग्राही के स्वामित्व/पट्टे की भूमि से संबधित भूमि अभिलेखों की राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अद्यतन प्रतियां आवश्यक होंगी।

6.4 सत्यापन के लिए भूमि कर की नवीनतम भुगतान रसीदें प्रस्तुत की जानी चाहिए - (उन ऋणकर्ता को इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है जो फसल ऋण का नवीनीकरण के समय शीघ्र भुगतान करते हैं)।

7.0 पशु क्रय संबंधित शर्ते

7.1 क्रय किए जाने वाले पशु प्रथम, द्वितीय ब्यात के होने चाहिए तथा दुग्ध उत्पादन भैसों में प्रति पशु प्रतिदिन 8 लीटर, संकर गाय में 10 लीटर तथा देशी गाय में 7 लीटर से कम नही होना चाहिये।

7.2 क्रय किए जाने वाले पशु के वत्स की आयु 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।

7.3 सभी पशु रोग मुक्त एवं स्वस्थ होने चाहिए।

7.4 क्रय किये गये पशुओ मे टैगिंग होना एवं उसे भारत पशुधन एप पर दर्ज होना आवश्यक है।

7.5 क्रय पशु राज्य के बाहर का होगा। पशु संबंधित ब्रीडिंग ट्रेक्ट /प्रमाणित पशु बाजार/ प्रोगेसिव कृषक/ संगठित प्रक्षेत्र से पशु क्रय किया जा सकेगा।

7.6 पशु मालिक द्वारा माल भाडे के ट्रक का बिल तथा टोल नाके की रसीदे पशु क्रय के उपरांत बैंक में जमा की जानी होगी

7.7 पशु की कीमत का भुगतान बैंक द्वारा सीधे पशु विक्रेता के खातें में किया जाएगा।

7.8 पशु क्रय उपरांत परिवहन के दौरान पशुओं का Transit insurance अनिवार्य होगा।

7.9 उपरोक्त शर्ते पूर्ण करने के उपरांत बैंक द्वारा आगामी किश्त जारी की जाएगी।

7.10 पशुओ का क्रय प्रत्येक 04 माह के अंतराल पर 03 चरणों मे होगा जिसमें प्रथम चरण मे 09 व शेष 02 चरणों मे 08-08 पशुओं का क्रय किया जायेगा।

7.11 अन्य दस्तावेज जो बैंक द्वारा आवश्यक हो, को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

8.0 ऋण अदायगी

8.1 लोन की अधिकतम अवधि 07 वर्षो की होगी। बैंक द्वारा प्रथम किस्त के वितरण के 06 माह के पश्चात ऋण की मासिक किस्तें (मॉरिटोरियम-06 माह) प्रारंभ की जायेगी।

8.2 योजना की सब्सिडी (अनुदान) को 03 वर्ष की लॉकइन-अवधि पूरी होने पर समायोजित किया जाना है। बैंक के हितग्राही के इकाई संचालन और ऋण अदायगी से संतुष्ट होने पर 03 वर्ष की लॉकइन –अवधि के बाद अनुदान के लाभार्थियों के ऋण खाते में सब्सिडी को समायोजित किया जा सकता है।

8.3 वित्त पोषण बैको द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि लॉकइन-अवधि मानी जायेगी। हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित ऋण अवधि से पूर्व कभी भी कर सकता है।

8.4 योजना के तहत सब्सिडी को "सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट" (उधारकर्ता के अनुसार) में रखा जाएगा। बैंक द्वारा इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

8.5 नोडल बैंक ऋण की पहली किस्त देते समय ही सब्सिडी संबंधित बैंक को जारी कर सकेगें।

9.0 योजना के घटक तथा वित्तीय प्रावधान –

9.1 25 भारतीय उच्च नस्ल दुधारू गायों की इकाई लागत विवरण:

क्र.सं.	विवरण	इकाई लागत राशि रु.
1	25 दुधारू पशु प्रति पशु 80000 रूपये की लागत	2000000
2	2 वर्षो के लिए 11% की दर से पशु बीमा	220000
3	पशु परिवहन पर व्यय (प्रतिपशु 10000 रुपये)	250000
4	पशु चयन हेतु हितग्राही भ्रमण प्रति भ्रमण रूपयें 10000 रुपये)	30000
5	शेड निर्माण	1100000
	योग	**36,00,000**

9.2 25 दुधारू संकर गायों की इकाई लागत

क्र.सं.	विवरण	इकाई लागत राशि रु.
1	25 दुधारू पशु प्रति पशु 100000 रूपये की लागत	2500000
2	2 वर्षों के लिए 11% की दर से पशुबीमा	275000
3	पशु परिवहन पर व्यय (प्रति पशु 10000 रुपये)	250000
4	पशु चयन हेतु हितग्राही भ्रमण प्रति भ्रमण रूपये 10000 रुपये)	30000
5	शेड निर्माण	1140000
	योग	**41,95,000 अर्थात् 42,00,000**

9.3 25 दुधारू भैंसों की इकाई लागत

क्र.सं.	विवरण	इकाई लागत राशि रु.
1	25 दुधारू भैंस जिनकी कीमत 100000 रुपये प्रति पशु है	2500000
2	2 वर्षों के लिए 11% की दर से पशुबीमा	275000
3	पशु परिवहन पर व्यय (प्रति पशु 10000 रुपये)	250000
4	पशु चयन हेतु हितग्राही भ्रमण प्रति भ्रमण रूपये 10000 रुपये)	30000
5	शेड निर्माण	1140000
	योग	**41,95,000 अर्थात् 42,00,000**

उपरोक्त तालिका अनुसार राशि परियोजना हेतु राशि 04 किस्तो मे दर्शायी गयी अवधि अनुसार जारी की जायेगी।

9.4 यदि हितग्राही ज्यादा राशि की यूनिट चाहता है तो ले सकता है पर विभागीय अनुदान योजना अंतर्गत निर्धारित प्रति इकाई लागत के अनुरूप ही अधिकतम देय होगी।

9.5 इकाई के समस्त पशु एक ही स्थान पर शेड बनाकर रखे जायेंगे।

9.6 योजनान्तर्गत प्रति पशु मय वत्स (बछिया/बछडा) 100 वर्ग फीट के मान से लगभग 2500 स्क्वेयर फीट का शेड निर्माण कराना अनिवार्य होगा,

जिसमें Floor पक्का होना चाहिए तथा शेड की परिधि 4.50 फीट की होना चाहिए। शेड मे एक तरफ दरवाजा होना चाहिए, शेड के उपर एसबेस्टस/गेलवनाइसड अथवा पक्की छत होना चाहिए।

10.0 **आवेदन की प्रक्रिया तथा योजना स्वीकृति का प्रवाह –**

10.1 योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय वेबसाईट (www.mpdah.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने हेतु आवेदक को अपना नाम, पिता/माता का नाम, लिंग, जन्म दिनांक, निवास पता, कार्यक्षेत्र का पता दर्ज कर अपना एकाउन्ट बनाना होगा।

10.2 आवेदक को खोले गऐ उक्त खाते से योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरना होगा।

10.3 आवेदन हेतु निम्न कार्यवाही आवश्यक होगी–

10.3.1 आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी जिसमें उसको मोबाईल न. एवं इमेल सत्यापित कराया जाएगा हितग्राही द्वारा चाही गई इकाई संख्या, पशुओं का प्रकार एवं नस्ल का विवरण भी देना होगा।

10.3.2 आवेदक यदि दुग्ध सहकारी समिति अथवा दूध के FPO का सदस्य है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दुग्ध सहकारी समिति अथवा दूध के FPO के सदस्य को पहले आओ पहले पाओ की वरीयता में प्राथमिकता दी जावेगी।

10.3.3 आवेदक के पास योजना हेतु उपलब्ध भूमि का खसरा, भूमि स्वामी का नाम तथा भूमि का स्थान से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।

10.3.4 उक्त जानकारी दर्ज करने पर भू-अभिलेख के पोर्टल में उपलब्ध जानकारी सत्यापित हो कर भूमि संबंधी सही जानकारी योजना के पोर्टल में दिखने लगेगी।

10.3.5 भूमि हेतु परिवार के सामूहिक भूमि खातें भी सम्मिलित किये जा सकते है किन्तु इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। यदि खसरे में आवेदक के स्थान पर आवेदक के पिता का नाम दर्ज है तो आवेदक के पिता योजना में भागीदार हो सकते है अथवा पिता को बैंक ऋण की गारंटी देनी होगी।

10.3.6 गारंटी देने पर खसरे में अंकित प्रति इकाई के मान से निर्धारित भूमि की उपलब्धता होने पर ही आवेदन स्वीकृत होगा।

10.3.7 आवेदक को योजनांतर्गत इकाईयों की संख्या,नस्ल की जानकारी योजना से संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज करनी होगी।

10.3.8 आवेदित इकाइयों के मान से आवश्यक भूमि का आंकलन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा।

11.0 विभागीय कार्यवाही का कार्यप्रवाह –

11.1 आवेदक द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी का राज्य स्तर पर परीक्षण किया जायेगा।

11.2 योजना में पहले आओ-पहले पाओ की नीति के तहत स्वीकृति दी जायेगी। समस्त अर्हताओं को पूर्ण करने वाला प्रकरण सर्वप्रथम मान्य होगा किन्तु दुग्ध सहकारी समिति अथवा दूध के FPO के आवेदको को अन्य आवेदनकर्ताओं के पहले प्राथमिकता दी जायेगी।

11.2 परीक्षण में कमी पाये जाने पर आवेदक के खोले गए खाते (ऑनलाईन) में आवेदन पूर्ण करने हेतु वापस कर दिया जायेगा। वापस करने के उपरांत हितग्राही की पहले आओ-पहले पाओ की प्राथमिकता पुनः शुरू होगी।

11.3 आवेदन में अहर्ताऐं पूर्ण होने पर आवेदन स्वीकृत कर राज्य स्तरीय छानबीन समिति (SLSC) के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

11.4 राज्य स्तरीय छानबीन समिति (SLSC) की संरचना निम्नानुसार होगी-

- प्रमुख सचिव,
  मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग - अध्यक्ष
- संचालक
  पशुपालन एवं डेयरी - सदस्य
- प्रबंध संचालक,
  मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल - सदस्य
- प्रबंध संचालक,
  मध्यप्रदेश राज्य को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल - सदस्य

- राज्य नोडल अधिकारी - सदस्य सचिव

नोडल अधिकारी (विभागीय क्रियान्वयन अधिकारी) की नियुक्ति संचालक पशुपालन एवं डेयरी द्वारा की जायेगी।

11.5 अनुमोदन उपरांत प्रकरण को स्वीकृती हेतु पोर्टल के माध्यम से जिलेवार बैंक पूल मे अग्रेषित किया जाएगा।

11.6 इच्छुक बैंक द्वारा प्रकरण को बैंक पूल से स्वीकृति हेतु लिया (Fetch) जायेगा, जिसकी जानकारी संबंधित हितग्राही को SMS/e-mail द्वारा प्रेषित की जाएगी।

11.8 यदि 07 दिन तक Fetched आवेदन पर इच्छुक बैंक द्वारा कार्यवाही नही की जाती है तो प्रकरण पुनः बैंक पूल में चला जाएगा जिससे अन्य बैंक उसे Fetch कर सकें।

11.9 बैंक द्वारा ऋण की पात्रता पाये जाने पर वह बैंक प्रकरण की समस्त अर्हताओं के अभिलेखों का परीक्षण कर भौतिक सत्यापन करेगा। बैंक द्वारा आवेदक से शेष रही वांछित पूर्तियां कर ऋण स्वीकृत किया जाएगा एवं नोडल बैंक तथा विभाग को सूचित किया जावेगा।

11.10 प्रकरण स्वीकृति उपरांत प्रथम किस्त के रूप में शेड निर्माण हेतु बैंक राशि प्रदान करेगा तथा शेड निर्माण उपरांत नोडल बैंक द्वारा चयनित बीमा एंजेसी द्वारा शेड का बीमा भी किया जाएगा।

11.11 नोडल बैंक द्वारा योजना हेतु समन्वय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसके दायित्व निम्नानुसार होगें-

11.11.1 विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये प्रकरणों की संपूर्ण विवेचना करेगा।

11.11.2 जिला स्तर पर योजना से संबंधित समझाईश या समस्या आने पर संबंधित बैंक को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

11.11.3 हितग्राही द्वारा संबंधित ब्रीडिंग ट्रेक्ट /प्रमाणित पशु बाजार/ प्रोगेसिव कृषक/ संगठित प्रक्षेत्र से पशु चयन किये जाने उपरांत वह मनोनीत बीमा संस्था के निकटस्थ शाखा के अधिकारी से संपर्क करेगा। किसी भी समस्या पर नोडल बैंक के समन्वय अधिकारी द्वारा आवश्यक सहायता की जायेगी। मनोनीत बीमा संस्था द्वारा पशु चिकित्सक से पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा तथा पशुओं का परिवहन

बीमा किया जाएगा। मनोनीत बीमा संस्थाओं की सेवाओं का भुगतान ऋण प्रदायकर्ता बैंक द्वारा किया जायेगा।

11.11.4 पशु मालिक द्वारा नाल भाडे के ट्रक का बिल तथा टोल नाके की रसीदे पशु क्रय के उपरांत बैंक में जमा करनी होगी।

11.12 चयनित पशुओं के परियोजना स्थल पर पहुंचने के उपरांत योजना के प्रावधान अनुसार उनका बीमा मनोनीत बीमा एंजेसी द्वारा किया जाएगा।

11.13 प्रत्येक चरण की जानकारी योजना के पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

11.14 बैंक द्वारा स्वीकृति सहित प्रत्येक Disbursement (04) की सूचना संबंधित जिले के उपसंचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं तथा राज्य स्तर पर दी जाएगी।

11.15 स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा पशुओं की खरीदी,चिन्हांकन व बीमे की समस्त जानकारी पोर्टल के माध्यम से विभाग तथा हितग्राही को उपलब्ध कराना होगी।

12.0 योजनान्तर्गत प्रति पशु मय वत्स (बछिया/बछडा) 100 वर्ग फीट के मान से लगभग 2500 स्क्वेयर फीट का शेड निर्माण कराना अनिवार्य होगा, जिसमें Floor पक्का होना चाहिए तथा शेड की परिधि 4.50 फीट की होना चाहिए। शेड मे एक तरफ दरवाजा होना चाहिए, शेड के उपर एसबेस्टस/गेलवनाइसड अथवा पक्की छत होना चाहिए।

13.0 अन्य शर्ते

13.1 योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी को डेयरी इकाई को सतत रूप से संचालित करना होगी, जिसकी न्युनतम अवधि ऋण समाप्ति(अनुदान लॉकइन पीरियड) होगी।

14.0 ऋण की अहर्ता तथा योजना का अनुश्रवण

14.1 उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिले मे सम्पूर्ण योजना की मानीटरिंग करेगें तथा जानकारी संबंधित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के माध्यम से संचालनालय को प्रेषित करेंगे।

14.2 बैंक के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों व योजना का मूल्यांकन व अनुश्रवण किया जाएगा।

14.3 विभाग के मैदानी अमले द्वारा समय-समय पर परियोजना स्थल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जावेगा।

25/04/25

(सुनील मडावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग

क्रमांक F.ANH/5/0024/2025-Sec-1-35(ANH) भोपाल दिनांक 25-04-2025

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी,मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग।
2. संचालक, पशुपालन एवं डेयरी, संचालनालय म.प्र.।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल म.प्र.।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कॉ-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल।
6. कलेक्टर जिला - समस्त।
7. संयुक्त संचालक, पशुपालन एवं डेयरी संभाग-समस्त।

25/04/25

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग